राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / IRGY(U) / 2022–23 / 53889-54129 दिनांक: 23/06/2022

1. **जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,**
समस्त राजस्थान।

2. **आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,**
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-URBAN) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा के बिन्दु स.–6 में निम्नानुसार **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-URBAN)** की घोषणा की गई है– **''शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।''**

स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक 06.05.2022 को घोषणा के अनुरूप योजना से संबंधित जारी गाईडलाईन की प्रति समस्त जिला कलक्टर, उपनिदेशक (क्षेत्रीय) एवं नगरीय निकायों को भिजवाई गई है **(प्रति संलग्न)**।

माननीय मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2022 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिये गये निर्देशानुसार उक्त योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन किये जाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक के स्तर पर नगरीय निकायों के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, तकनीकी एवं लेखाकार्मिकों का जिला स्तर पर जिला परिषद् के सभागार भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 25.06.2022 तक आयोजित कराया जाना सुनिश्चित कराएं। विभाग द्वारा योजनान्तर्गत जारी गाईडलाईन दिनांक 06.05.2022 के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में जिले के समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता, सहायक लेखाधिकारी, डेटा एन्ट्री / कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि के द्वारा भाग लिया जाएगा तथा जिला परिषद् के महानरेगा से संबद्ध कार्मिक भी इस कार्यशाला में आमंत्रित किये जाएं, ताकि नगरीय निकायों के कार्मिक महानरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया समझ सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

Scanned with CamScanner

क्रमांकःएफ.56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2022–23 / 54130-182 दिनांकः 23/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान संबंधित जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहेंगे एवं संबंधित जिलों में आयोजित प्रशिक्षण के उपरांत प्राप्त फीड बैक का विवरण मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
7. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner